

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 09/2020

बउनवान

पन्नालाल पुत्र अमरलाल आयु 65 वर्ष जाति बैरवा निवासी खेड़ी, तहसील-बारां, जिला-बारां  
(राज.) (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज.)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)  
(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 06.07.2022

अपीलांट ने जर्घे अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 30.07.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम खेड़ी, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म-गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 5/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का जहां पर मकान बना हुआ है वह आराजीयात खसरा नंबर 291 से बाहर की है, जहां पर अपीलांट के अलावा अन्य 16-17 व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं। अपीलांट का मकान 40 वर्ष पूर्व से कच्चा बना हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपीलांट का चयन होने पर कच्चे मकान को गिराकर उस जगह पक्का मकान बनाया जा रहा है। मौके पर अपीलांट के समक्ष पैमाईश नहीं की जाती है। दिनांक 30.07.2020 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था परन्तु अपीलांट की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं करवाए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2020 निरस्त फरमाया जावे।

*Handwritten signature*  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्जे सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है तथा ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सजायाब किया गया है जबकि जिस भूमि बाबत कार्यवाही की गई है वहां अपीलांट का कच्चा मकान 40 वर्ष से स्थित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपीलांट का चयन होने पर कच्चे मकान को गिराकर उस जगह पक्का मकान बनाया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट ने वर्णित आराजी पर संवत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे प्रकरण संख्या 265/20 निर्णय दिनांक 28.02.2020 से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलांट का वर्णित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 291 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म-गै.मु.रास्ता ग्राम खेड़ी पर संवत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 265/20 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2020 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 827/20 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज.)